भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1012**

**बुधवार,19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**एफ.डी.आई. प्रस्तावों की त्वरित मंजूरी**

**1012 श्री संभाजी छत्रपतीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एफ.डी.आई. प्रस्तावों की त्वरित मंजूरी के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफ.डी.आई. की मंजूरी में विलंब के प्रमुख कारण और प्रमुख सेक्टर कौन-कौन से हैं; और

(घ) सरकार एफ.डी.आई. प्रस्तावों की त्वरित मंजूरी के लिए और कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर.चौधरी)**

**(क) से (घ):** पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की समाप्‍ति के बाद, विदेशी निवेश सहायता पोर्टल (एफआईएफपी) विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश को सुगम बनाने के लिए निवेशकों के साथ भारत सरकार का ऑनलाइन सिंगल प्‍वाइंट इंटरफेस है। यह पोर्टल औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। मौजूदा एफडीआई नीति तथा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सरकारी अनुमोदन की आवश्‍यकता वाले ग्‍यारह अधिसूचित क्षेत्रों/ क्रियाकलापों में विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन प्रदान करने का कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सौंपा गया है। इस संबंध में, डीआईपीपी द्वारा 29 जून, 2017 को एफडीआई संबंधी प्रस्‍तावों पर कार्यवाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

एस.ओ.पी. के अनुसार, ऐसे प्रस्‍तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए 8 से 10 सप्‍ताह की समय-सीमा तय की गई है जिसमें आवेदकों द्वारा प्रस्‍तावों में संशोधन करने/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्‍त जानकारी देने के लिए लिया गया समय शा‍मिल नहीं है।

इसके अलावा, विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश संबंधी प्रस्‍तावों का समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए डीआईपीपी द्वारा अन्‍य पणधारक मंत्रालयों/ विभागों के साथ आवधिक समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*\*